27.8.19 पड़ोकाहान के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता आर्थी उपरोक्त में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा "Not press" किया है लिहाजा आर्थना पत्र आर्थी इसी पक्षम में आदेश "Not press" खारिज किया जाता है। मिसल फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Not pressed
27-8-19

Scanned by CamScanner